

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(3) वित्त/बीमा/2019लूज

जयपुर, दिनांक 06.05.2025

आज्ञा

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निम्नांकित पर्यवेक्षक को आगामी आदेशों तक अपने वर्तमान पद के कार्यों के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क. स.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्यभार	विशेष विवरण
1.	श्री धनपाल मीणा	पर्यवेक्षक, टोंक	सहायक निदेशक, टोंक	श्री राजेश कुमार शर्मा सहायक निदेशक अजमेर को दिये गये अतिरिक्त कार्यभार के स्थान पर, श्री पवन कुमार शर्मा सहायक निदेशक टोंक के अवकाश काल से (दिनांक 21.04.2025 से 22.05.2025 तक) लौटने तक

आज्ञा से



(धनलाल शेरवत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
5. संबंधित अधिकारी।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव 15/5